भारत सरकार
योजना मंत्रालय

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 2498**
दिनांक 21.12. 2022 को उत्तर देने के लिए
**राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन**

**2498. श्री डी.एम. कथीर आनन्द:**

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिक्री की जाने वाली सरकार की अवसंरचना परिसंपत्तियों को सूचीबद्ध करने के प्रयास के अंतर्गत राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी आय होने की संभावना है और वास्तव में कितनी आय हुई है;

(ग) क्या सरकार की एनएमपी को निष्पादित करने के लिए मानदण्डों और नीतियों को तैयार करने के लिए सभी राजनीतिक दलों के सांसदों की एक विशेषज्ञ समिति गठित करने की कोई योजना है और यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा पहले से कार्यरत लोगों को नौकरी की सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा सामाजिक न्याय को बनाए रखने के लिए देश में प्रचलित आरक्षण प्रणाली के अनुसार नौकरी की सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

**(राव इंद्रजीत सिंह)**

(क) जी, नहीं। सरकार ने अगस्त, 2021 में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) शुरू किया ताकि अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव के उद्देश्य से अवसंरचना संचालन तथा रखरखाव में दक्षता लाने के लिए और अवसंरचना निर्माण में तेजी लाने के लिए सार्वजनिक अवसंरचना निवेश से मूल्य प्राप्ति करने का प्रयास किया जा सके।

(ख) एनएमपी के तहत विगत 4 वर्ष की अवधि में वित्त वर्ष 22 से वित्त वर्ष 25 के लिए परिसंपत्ति पाइपलाइन का कुल सांकेतिक मूल्य 6.0 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। इस सांकेतिक मूल्य का तात्पर्य संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के परिसंपत्ति मालिकों द्वारा मुद्रीकरण प्रक्रिया के माध्यम से, या तो उपचय के रूप में अथवा निजी क्षेत्र में निवेश द्वारा प्राप्त होने वाले अपेक्षित मूल्य से है। एनएमपी को अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था और वित्त वर्ष 21-22 इसके कार्यान्वयन का पहला वर्ष था। वित्त वर्ष 21-22 के दौरान मुख्य परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम के तहत उपचय अथवा निजी निवेश की दृष्टि से लगभग 97,000 करोड़ रुपए के कुल मुद्रीकरण मूल्य वाले लेन-देन को पूरा किया गया।

(ग) जी, नहीं। सभी राजनीतिक दलों के सांसदों को शामिल कर एक विशेषज्ञ समिति के गठन का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का निर्माण परिसंपत्ति के स्वामित्व वाली कम्पनियों, संबंधित संबद्ध मंत्रालयों, विभागों के साथ-साथ हितधारकों के साथ परामर्श के आधार पर किया गया था। इसके अलावा, लेन-देन के चरण पर, संबंधित परिसंपत्ति के स्वामित्व वाली कम्पनियों द्वारा मौजूदा दिशानिर्देशों और लागू विनियमों के अनुसार ड्यू-डिलिजेंस किया जाता है तथा हितधारकों से परामर्श किया जाता है। प्रस्ताव तैयार किए जाने पर उनका भी मूल्यांकन किया जाता है और मौजूदा अनुमोदित दिशानिर्देशों, नीतियों और प्रत्यायोजित शक्तियों, जैसा भी मामला हो, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन प्रस्तावों को अनुमोदित किया जाता है।

(घ) एवं (ङ) एनएमपी के तहत परिकल्पित मुद्रीकरण ढांचे में सार्वजनिक निजी भागीदारी या पूंजी बाज़ार संरचनाओं के माध्यम से लेन-देन काल की परिसमाप्ति पर परिसंपत्ति को अनिवार्य रूप से वापस करने के साथ सीमित अवधि की संविदात्मक संरचना शामिल है। मुद्रीकरण आय को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों (सीपीएससी) द्वारा नए अवसंरचना निर्माण में लगाने की परिकल्पना की गई है जिससे अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव पड़ेगा। विविध परियोजना विशिष्ट लेन-देन पहलुओं जैसे अवसर, निवेश, परिसंपत्तियों का संचालन एवं रखरखाव, जन शक्ति और रियायत अवधि आदि को संबंधित परियोजना प्रायोजक प्राधिकरणों द्वारा लेन-देन की तैयारी के चरण में ड्यू-डिलिजेंस के आधार पर और लागू कानूनों के अनुसार तय किया जाता है। उसके बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा इन पहलुओं का लागू दिशानिर्देशों और विनियमों के आधार पर आकलन कर अनुमोदन दिया जाता है।

*****